

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

चमेली देवी बनाम विनीत कुमार

किस्ममुकदमा दावा 88, 188 आर.टी.ए.

मु० नं० 1/65 सन-2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.2025	<p style="text-align: center;">2025/103</p> <p>दावा वकील वादी श्रीमती गुड्डी नायक, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्गे रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 15.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा</p> <p>वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील वादी ने वाद आगे नहीं चलाते हुए इसी स्तर पर वाद Not Press में स्वारिज करने का कथन दिया।</p> <p>वादी के हस्ताक्षर कराये गये। वादी की पहचान वकील वादी श्रीमती गुड्डी नायक ने की। अतः वकील वादी के Not Press करने पर वाद स्वारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली जैसल होकर नम्बर से कर देना वाद पूर्ण तथा लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)</p>	<p style="text-align: right;">दिनांक पत्रावली</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Not Press</p> <p style="text-align: center;">गुड्डी नायक</p>

15/5/25